रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17062021-227669
CG-DL-E-17062021-227669

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2188] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 17, 2021/ज्येष्ठ 27, 1943
No. 2188] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 17, 2021/JYAISTHA 27, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 17 जून, 2021

का.आ. 2353(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनने वाली कर्नाटक तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) गठित करती है, अर्थात् :-

क्र.सं	सदस्य	प्रास्थिति
(1)	(2)	(3)
1.	सरकार के अपर मुख्य सचिव, वन पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग, 4" तल, एम.एस.बिल्डिंग, बेंगलुरु	अध्यक्ष,पदेन;
2.	सरकार के प्रधान सचिव, वन,पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग, 4" तल, एम.एस.बिल्डिंग, बेंगलुरु	सदस्य,पदेन;
3.	सरकार के सचिव, पशुपालन और मत्स्य पालन, विकास सौधा, बेंगलुरु या उसका प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
4.	सरकार के प्रधान सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग, विकास सौधा, बेंगलुरु या	सदस्य ,पदेन;

	उनका प्रतिनिधित्व	
5.	सरकार के प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, विकास सौधा, बेंगलुरु या उसका प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
6.	निदेशक, नगर प्रशासन निदेशालय, आंबेडकर रोड,9वां और 10वां तल विश्वेश्वरैयाह टॉवर, संपंगी राम नगर, बेंगलुरु	सदस्य, पदेन;
7.	सदस्य सचिव कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नंबर: 8, परिसारा भवन, चर्च स्ट्रीट, बैंगलोर-560001	सदस्य, पदेन;
8.	महानिदेशक, पर्यावरण प्रबंधन और नीति अनुसंधान संस्थान (ईएमपीआरआई), 'हसीरू भवन',दोरेसानिपल्या वन परिसर, विनायक नगर सर्कल,जे.पी.नगर, 5 "फेज, बेंगलुरु-560078	सदस्य, पदेन;
9.	निदेशक,कर्नाटक राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर (केएसआरएसएसी), मेजर संदीप उन्नीकृष्णन रोड, विद्यारण्यपुरा पोस्ट, बेंगलुरु-560097	सदस्य,पदेन;
10.	डॉ. ए. सेंथिल वेल, प्रोफेसर, डीन, कॉलेज ऑफ फिशरीज, मैंगलोर	सदस्य,पदेन;
11.	डॉ शिवकुमार बी. हारागी, सहायक प्रोफेसर, कर्नाटक विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर केंद्र, कोडीबाग, कारवार	सदस्य,पदेन;
12.	डॉ. एम.डी. सुभाषचंद्रन, परामर्श वैज्ञानिक, (पारिस्थितिकी और पर्यावरण), पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र, आईआईएससी, बेंगलुरु,	सदस्य,पदेन;
13.	डॉ. रमेश एच., एसोसिएट प्रोफेसर,अनुप्रयुक्त यांत्रिकी और हाइड्रोलिक विभाग, एनआईटीके, सुरथकल, मंगलुरु	सदस्य,पदेन;
14.	श्री रामचंद्र भट्ट,स्नेहकुंजा ट्रस्ट, कासरकड पोस्ट, होनावर तालुक, उत्तर कन्नड़ जिला	सदस्य,गैर सरकारी संगठन
15.	विशेष निदेशक (तकनीकी प्रकोष्ठ) (पारिस्थितिकी और पर्यावरण), वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग, 7वीं मंजिल, एम.एस.बिल्डिंग, बेंगलुरु	सदस्य सचिव, पदेन;

2. प्राधिकरण का अपना मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में होगा।

3. प्राधिकरण की बैठक के लिए गणपूर्ति अपने सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई सदस्य से होगी ।

4. किसी पदेन सदस्य के सिवाय एक सदस्य को केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चय किए गए मानदंडों के अनुसार भत्ते भुगतान किए जाएगे।

5. प्राधिकरण, संरक्षण के प्रयोजनों के लिए और तटीय पर्यावरण की गुणवत्ता सुधार करते हुए और निवारक, उपशमन करते हुए तथा कर्नाटक राज्य में तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में प्रदूषण पर्यावरणीय नियंत्रण करेगा, निम्नलिखित उपायों को करेगा, अर्थात् :--

(i) प्राधिकरण, परियोजना के प्रस्ताव हेतु अनुमोदन के लिए आवेदन प्राप्त करने और समान समीक्षा करने

के पश्चात यदि तटीय जोन प्रबंध योजना के लिए अनुमोदन के अनुसार है और संख्या का.आ. 19(अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना तटीय विनियमन जोन की अपेक्षा के भीतर है तथा ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर, उक्त अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट संबद्ध प्राधिकरण के लिए ऐसी परियोजना के अनुमोदन के लिए सिफारिश करना ;

(ii) प्राधिकरण उक्त अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट तटीय विनियमन जोन में विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमन करेगा ;

(iii) प्राधिकरण उक्त अधिसूचना के उपाबंधों को प्रवृत्त करने के लिए और निगरानी करने के लिए उत्तरदायी होगा ;

(iv) प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन और तटीय प्रबंधन योजना के वर्गीकरण में परिवर्तन या उपांतरण के लिए राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा करेगा और राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण हेतु विनिर्दिष्ट सिफारिश करेगा।

(v) प्राधिकरण,उक्त अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अभिकथित उल्लंघन की दशा में जांच करेगा; और उक्त अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघनों में अंतर्ग्रस्त मामलों का पुनर्विलोकन करेगा ;

(vi) प्राधिकरण, स्वप्रेरणा से या किसी व्यष्टि या निकाय या संगठन द्वारा की शिकायत के आधार पर उक्त अधिसूचना उल्लंघन या अतिलंघन के मामलों की जांच या पुनर्विलोकन करेगा;

(vii) प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करने के लिए प्राधिकृत है।

(viii) प्राधिकरण,अपने समक्ष मामले के तथ्यों की सत्यता के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन यथा अपेक्षित ऐसी कार्यवाई करेगा।

6. प्राधिकरण अपने कार्यकरण में पारदर्शिता बनाए रखने के प्रयोजनों के लिए एक समर्पित वेबसाइट तैयार करेगा और अपने कृत्यों से संबंधित जानकारी डालेगा जिसके अंतर्गत उसकी बैठक में कार्यसूची, बैठक का कार्यवृत्त, प्रत्तेक बैठक में किए गए विनिश्चय, उक्त अधिसूचना उल्लंघन और अतिलंघन पर मामलों के लिए सिफ़ारिश और ऐसे उल्लंघन और अतिलंघन पर की गई कार्यवाई, न्यायालय मामला जिसके अंतर्गत न्यायालय के आदेश भी हैं और राज्य सरकार के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना भी है ;

7. राष्ट्रीय तटीय जोन प्राधिकरण अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

[फा. सं. 12-4/2005-आईए-III (भाग-3)]

डा. सुजीतकुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the 17th June, 2021

S.O. 2353(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes the Karnataka Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette, namely:-

Sl. No.	Members	Status
(1)	(2)	(3)
1.	The Additional Chief Secretary to Government, Forest, Ecology and Environment Department, 4th Floor, M.S.Building, Bengaluru	Chairman, *exofficio;*
2.	The Principal Secretary to Government, (Ecology and Environment) Forest, Ecology and Environment Department, 7 th Floor, M.S.Building, Bengaluru	Member, *exofficio;*
3.	The Secretary to Government, Animal Husbandry and Fisheries, Vikasa Soudha, Bengaluru or his representative	Member, *exofficio;*
4.	The Principal Secretary to Government, Industries and Commerce Department, Vikasa Soudha, Bengaluru or his representative	Member, *exofficio;*
5.	The Principal Secretary to Government, Tourism Department, Vikasa Soudha, Bengaluru or his representative	Member, *exofficio;*
6.	The Director, Directorate of Municipal Administration, Ambedkar Road, 9th and 10th Floor, Vishveshwaraiah Tower,Sampangi Rama Nagar, Bengaluru	Member, *exofficio;*
7.	The Member Secretary, Karnataka State Pollution Control Board, No.49, Parisara Bhavan, Church Street, Bengaluru-560001	Member, *exofficio;*
8.	The Director General, Environment Management and Policy Research Institute (EMPRI), 'Hasiru Bhavana', Doresanipalya Forest Campus, Vinayaka Nagara Circle, J.P.Nagar, 5 th Phase, Bengaluru-560078	Member, *exofficio;*
9.	The Director, Karnataka State Remote Sensing Application Centre (KSRSAC), Major Sandeep Unnikrishnan Road, Vidyaranyapura Post, Bengaluru-560097	Member, *exofficio;*
10.	Dr. A. Senthil Vel, Professor, Dean, College of Fisheries, Mangalore,	Member, *Expert;*
11.	Dr. Shivakumar B.Haragi, Assistant Professor, Karnataka University Post Graduate Centre, Kodibag, Karwar	Member, *Expert;*
12.	Dr. M.D.Subash Chandran, Consulting Scientist, (Ecology and Environment), Centre for Ecological Sciences,IISc, Bangalore,	Member, *Expert;*
13.	Dr. Ramesh H., Associate Professor, Department of Applied Mechanics and Hydraulics, NITK, Surathkal, Mangaluru	Member, *Expert;*
14.	Shri Ramachandra Bhatta, Snehakunja Trust, Kasarkd Post, Honnavar Taluk, Uttara Kannada District	Member, *Non-Governmental Organization ;*
15.	Special Director (Technical Cell) (Ecology and Environment), Forest, Ecology and Environment Department, 7 th Floor, M.S.Building, Bengaluru	Member Secretary, *exofficio*.

2. The Authority shall have its headquarters at Bengaluru, Karnataka.

3. The quorum for the meeting of the Authority shall be one-third of the total number of its Members.

4. A Member, other than an *exofficio* Member, shall be paid allowances as per the norms decided by the Central Government.

5. The Authority shall, for the purposes of protecting and improving the quality of the costal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the Coastal Regulation Zone areas in the State of Karnataka, take the following measures, namely: -

   (i) the Authority shall, after receiving the application for approval of project proposal, examine the same if it is in accordance with the approved Coastal Zone Management Plan and within the requirements of the Coastal Regulation Zone notification issued by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests and published *vide* number S.O.19(E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the said notification), and make recommendations for approval of such project to the concerned authority, as specified in the said notification, within a period of sixty days from the date of receipt of such application;

   (ii) the Authority shall regulate all developmental activities in the Coastal Regulation Zone areas as specified in the said notification;

   (iii) the Authority shall be responsible for enforcing and monitoring the provisions of the said notification;

   (iv) the Authority shall examine the proposals received from the State Government for changes or modifications in the classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan and make specific recommendations thereon, to the National Coastal Zone Management Authority;

   (v) the Authority shall inquire into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder; and review the cases involving violations or contraventions of the provisions of the said Act and the rules made thereunder;

   (vi) the Authority shall inquire or review cases of violations or contraventions of the said notification suo-moto, or on the basis of a complaint made by any individual or body or organisation;

   (vii) the Authority is authorised to file complaints under section 19 of the said Act;

   (viii) the Authority shall take such action as may be required under section 10 of the said Act, to verify the facts of the cases before it.

6. The Authority shall, for the purpose of maintaining transparency in its functioning, create a dedicated website and post the information relating to its functions, including the agenda in its meetings, minutes of the meetings, decisions taken in each meeting, recommendations for matters on violations and contraventions of the said notification and actions taken on such violations and contraventions, court matters including the orders of the courts and the approved Coastal Zone Management Plan of the State Government.

7. The Authority shall furnish reports of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

[F. No. 12-4/2005- IA-III (part-3)]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.06.17 21:11:07 +05'30'